डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 22 मई 2001—ज्येष्ठ 1, शक 1923

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मई 2001

अधिसूचना

क्रमांक 2878/3983/सा.प्र.वि./2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा-79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.

(दो) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियों जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाये. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द ''मध्यप्रदेश'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द ''छत्तीसगढ़'' स्थापित किए जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

क्रमांक (1)	विधियों का नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश मानव अधिकार, आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1995.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. राघवन, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2001

क्रमांक 2878/3983/सा.प्र.वि./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना दिनांक 22 मई, 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

Raipur, the 22nd May 2001

NOTIFICATION

No. 2878/3983/G.A.D./1-13/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government hereby makes the following orders namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the adaptation of laws order, 2001.

   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in this State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh, untill repealed or amended. Subject to the modification that in the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule continue to be inforce in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the laws (2)
1.	Madhya Pradesh Human Rights Commission Chariman and Members (Salaries, Allowance and other Conditions of Service) Rules, 1995.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. RAGHAVAN, Principal Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.